न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –59/2018

अपीलाण्टस्	बनाम	रेस्पोडेण्ट
बक्षाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी रियाश्यामदास तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज.		तहसीलदार, मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुड़िया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 5/7/18

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 189/2017 सरकार बनाम बक्षाराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 36 रकबा 1.09 हैक्टेयर वाके मौजा रियाश्यामदास के सम्पूर्ण रकबे पर अपीलांट के पिता छोगाराम जागीर रिज्यूमशन के पहले से ही पड़ौसी खसरा सहित काबिज काश्तकार थे व खेत के नीचे के हिस्से पर धौरा–पाली बांध कर उसे काश्त करते रहे व उपर के हिस्से पर ज्यादा बरसात होने पर काश्त करते व उपरेटा के कारण फसल कभी होती, कभी नहीं होती। गत बन्दोबस्त में नीचे के हिस्से के हक खातेदारी अपीलांट के पिता के नाम दर्ज हो गयी मगर कुछ भाग के हक खातेदारी दर्ज नहीं किये मगर उस पर भी कब्जा काश्त लगातार संवत 2010 से लेकर आज दिन तक अपीलांट का हुआ, रहा व है। अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में जागीर के समय में ही रिहायसी निर्माण किया जिसमें अपीलांट निवास करने लगा। संवत 2074 के वर्ष का ही कब्जा काश्त पड़ौसी की बदनियती से व अपने खेत में गैर कानूनी रास्ता कायम करने के लिए झुठे तथ्यों पर शिकायत को लेकर अपीलांट के खिलाफ धारा 91 राज0 भूराजस्व अधिनियम का नोटिस जारी करने की अपीलांट ने चर्चा सुनी तो अपीलांट ने अपने कब्जे काश्त बाबत् गिरदावरियो के नकले मांगी व नकलो को देखने से अपीलांट को सर्व प्रथम नकले लेने से यह जानकारी हुई कि उसके कब्जे की भूमि में 1.09 हैक्टेयर का अपीलांट के नाम पर्चा लगान जारी नहीं हुआ है अपीलांट ने अतिक्रमण के मामले में जवाब व नकले फोटो प्रतियां लगाकर पेश की तहसीलदार ने जल्दी ही अपीलांट के हक में नियमन की सिफारिश करने का आदेश लिखाने क आश्वासन दिया फिर अपीलांट बीमार हो गया व उस प्रकरण के निर्णय हो जाने की अपीलांट को जानकारी नहीं हुई। तत्पश्चात अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखली की फर्द अपीलांट की अनुपस्थिति में बना कर मिथ्या रूप से कब्जा हटाया जाना दर्ज कर पुनः प्रकरण हाजा मु.न. 187/2017 दिनांक 17.04.2018 के जरिये पश्चातवर्ती कब्जा मानते हुए पूर्व में बेदखल किये बिना ही बेदखल करना बताकर पश्चातवर्ती कब्जे को मानते हुए बेदखली व एक माह के सिविल कारावास के दण्डादेश बिना अपीलांट को विधिवत नोटिस दिये, बिना तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट

कलक्टर, नागौर

के तथा बिना नोटिस की तारीख को एकपक्षीय कार्यवाही किये, आगामी तारिखों में आदेश जैर अपील दिनांक 17.04.2018 को पारित किया व अपीलांट ने प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की है व अन्दर मियाद अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है तथा पूर्व में अतिक्रमण की पत्रावली जिसमें अपीलांट ने जवाब दिया उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उसके विरुद्व अपील पेश करने विकल्प रखते हुए अपील यह अपील पेश की गई है।

आदेश जैर अपील बिना अपीलांट को विधिनुसार व्यक्तिगत नोटिस तामिल कराये, बिना मौका देखे, बिना साक्ष्य सबूत लिये तथा पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर अनुचित रुप से विश्वास करते हुए विवादित खसरा कोई सार्वजनिक हित का न होते हुए भी तथा चारागाह, नाडी, रास्ता, ओरण इत्यादि न होते हुए भी अदालत मातहत ने अत्यधिक कठोरता रखते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित बेदखली की साक्ष्य पेश हुए बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है जो अनुचित, विधि विरुद्व व त्रुटिपूर्वक है इसलिए अपील स्वीकार योग्य है व आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है।

अपीलांट पुश्तेनी कब्जा काश्त राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले रहता आया है। राजकीय परिपत्रों के अनुसार व मौके पर अपीलांट के पिता व अपीलांट का काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से ही कब्जा काश्त है कानूनन अपीलांट खातेदार हो चुका है मगर पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौके से विपरीत हक खातेदारी अपीलांट के हक में दर्ज नहीं किये है जिस बाबत अपीलांट जल्दी ही घोषणा खातेदारी का वाद पेश करने वाला है। करीब पांच दशको से कब्जा काश्त बाबत गिरदावरीयो की नकले फोटो प्रतिया अपील के साथ पेश है।

अपीलांट बोनाफाईड काश्तकार है व भूमिहीन अनुसूचित जाति का काश्तकार है। अपीलांट के पास पहले से ही ज्यादा भूमियां नहीं है व अतिक्रमण वाली भूमि को मिला कर भी 15 बीघा से कम रकबे पर काश्तकार है। राजकीय परिपत्रों के तहत उक्त रकबा अपीलांट के हक में नियमन किया जाकर व नियमन की सिफारिश कर सलाहकार समिति के समक्ष प्रकरण पेश करने का उचित मामला होते हुए भी संवंत 2074 के लिए दिनांक 28.02.2018 को तथाकथित मिथ्या बेदखली व तत्पश्चात आदेश जैर अपील के जरिये पश्चातवर्ती कब्जा मानकर बेदखली का ओदश दिया जाना अनुचित, विधि विरुद्ध व निरस्त योग्य है।

उक्त कार्यवाही पड़ौसी काश्तकार की पटवारी से मिलावट कर करवाई हुई कार्यवाही है। वर्तमान विधि के अनुसार हक खातेदारी में भी धारा 251क, राज.टि. एक्ट के तहत रास्ता घोषित करने के प्रावधान है ऐसी स्थिति में विवादित खसरा पर रास्ता कायम करने में कानूनी बाधा न होते हुए भी अत्यधिक कठोर दण्डादेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

प्रकरण में अपीलांट के नाम का नोटिस जारी जरुर किया गया है जो 9.4.2018 की पेशी के लिए दिनांक 31.3.2018 को जारी किया था व उक्त नोटिस की पुश्त पर किसी का अंगुष्ठ निशान लगाकर तामिल कुनिन्दा ने गलत रुप से अं.नि. बक्षाराम का दर्ज किया है व नीचे बाद तामिल सेवा में पेश करने की रिपोर्ट दर्ज कर हस्ताक्षर रामेश्वरलाल किये है मगर विधिनुसार तामिल कुनिन्दा को सशपथ अथवा हल्फिया रिपोर्ट करनी आवश्यक थी मगर इस प्रकरण में तामिल कुनिन्दा ने हल्फ लेकर तामिल की रिपोर्ट पेश नहीं की है न निष्पक्ष मौतबिरो के हस्ताक्षर है इन परिस्थितियो में उक्त आदेश धारा 91 राज. भूराजस्व अधिनियम के तहत पर्याप्त नोटिस व सूचना दिये बिना त्रुटिपूर्वक पारित किया गया है व न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित आदेश होने से निरस्त योग्य है।

अदालत मातहत द्वारा पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान कलमबद्व करने व उक्त बयान दिनांक [illegible].2018 को कलमबद्व करने के तथ्य अंकित किये है। पत्रावली पर नोटिस की तारीख पेशी 9.4.2018 दर्ज है लेकिन दिनांक 9.4.2018 को अपीलांट/गैर सायल का नोटिस तामिलसुदा प्राप्त होने पर भी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित नहीं किये है व आगामी

तारीख पेशी 26.4.2018 ऑर्डरशीट में दर्ज की गयी है व तत्पश्चात दिनांक 26.4.2018 को पेन से ऑवर राईटिंग कर उसे 16.4.2018 किया जाकर दिनांक 16.4.2018 को बयान लिये गये है उस दिन भी गेर सायल के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित नहीं किये न ही पटवारी से प्रतिपरीक्षा का ही अवसर देना दर्ज किया। यहां तक कि पटवारी के बयान लेते समय भी शपथ पूर्वक बयान नहीं लिये न ही शपथ दिलाई गयी तथा बयानों में पूर्व में बेदखली के आदेश से संबंधित पत्रावली संख्या, आदेश बेदखली की तारीख, इत्यादि का खुलासा कथन नहीं किया है और न ही बेदखली की कोई फर्द ही शामिल पत्रावली की है न ही बेदखली की फर्द को ही किसी मौतबिरों के सामने बनाई अथवा नहीं बनाई, इस बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं है। यहां तक की उक्त हल्फिया बयान पीठासीन अधिकारी द्वारा कलमबद्ध नहीं किये है न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा बयान लिये जाने व अधिकारी द्वारा बयान रेकर्ड करने का कोई नोट अंकित किया है। उक्त बयान को शामिल मिसल करने का पृष्ठांकन दिनांक 16.04.2018 को करने के तथ्य दर्ज है। उक्त पटवारी के बयान विधि अनुसार कलमबद्ध बयान व अपने आप में साक्ष्य में शुमार नहीं है व उक्त बयानों के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का निर्णय अनुचित व त्रुटिपूर्वक पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है व हस्तक्षेप योग्य है।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व किस्म भूमि व अपीलांट की जाति, भौतिक बेदखली के दस्तावेजों के अभाव में व राजकीय परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पुनः राजस्व रेकर्ड में कब्जा बाबत गिरदावरी व इन्द्राज का अवलोकन कर अपीलांट के पास पहले से ही धारित भूमि व हिन्दू परिवार के सदस्यों के नोशनल शेयर के अनुसार किसी की भूमि व अतिक्रमित भूमि सहित यदि अपीलांट भूमिहीन की परिभाषा में शुमार योग्य होने की स्थिति में होने से अपीलांट के हक में उक्त भूमि नियमन करने के आदेश निर्देश देते हुए पत्रावली रिमाण्ड करने का उचित मामला होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश/निर्णय अपील निरस्त किया जावे व पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर पुनः राजस्व रेकर्ड में कब्जा बाबत गिरदावरी व इन्द्राज का अवलोकन कर अपीलांट के पास पहले से ही धारित भूमि व हिन्दू परिवार के सदस्यों के नोशनल शेयर के अनुसार हिस्से की भूमि व अतिक्रमित भूमि सहित यदि अपीलांट भूमिहीन की परिभाषा में शुमार योग्य होने की स्थिति में से अपीलांट के हक में उक्त भूमि नियमन करने के आदेश निर्देश देते हुए पत्रावली रिमाण्ड करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मकान बनाकर एवं तारबन्दी कर अवैध कब्जा किया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो विधि अनुसार है। राजपैरोकार ने न्यायिक दृष्टान्त निगरानी/एल.आर./2885/2006/ नागौर मूलनाथ बनाम सरकार मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.04.2017 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया की धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। उक्त कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने निर्णय जैर अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्त का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट ने ग्राम रियाश्यामदास के खसरा नम्बर 36 किस्म गैर मुमकिन मगरा रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि में निर्माण व तारबन्दी करके अवैध कब्जा करने की पटवारी रियांश्यामदास की भू अभिलेख निरीक्षक हरसोलाव के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट तहसीलदार मेड़ता को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपीलान्ट को नियमानुसार नोटिस जारी किया, जिस पर अपीलान्ट

अगुष्ठ निशान होकर अपीलान्ट का नाम अंकित है, जो तामील पर्याप्त है। तत्पश्चात अपीलान्ट बावजूद तामील गैर हाजिर रहने पर पटवारी हल्का के बयान लिये गये एवं दिनांक 16.04.2018 को निर्णय जैर अपील पारित किया गया, जो विधि सम्मत है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की तामील को गलत होना बताया है। इस संबंध में यदि नोटिस पर अपीलान्ट द्वारा तामील नहीं की गई है, तो अपीलान्ट को उक्त संबंध में सक्षम स्तर पर उचित विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए थी। प्रथमदृष्टया नोटिस पर उपरोक्तानुसार अपीलान्ट की तामील पर्याप्त है। अपीलान्ट स्वंय ने ही नोटिस तामील करने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कोई कार्यवाही नहीं की है।

वकील अपीलान्ट पटवारी द्वारा बयान शपथपूर्वक नहीं लेने तथा बयानों में पूर्व बेदखली के आदेश से संबंधित पत्रावली संख्या, आदेश बेदखली की तारीख, इत्यादि का खुलासा कथन नहीं होने और न ही बेदखली की कोई फर्द ही शामिल पत्रावली की है न ही बेदखली की फर्द को ही किसी मौतबिरों के सामने बनाई अथवा नहीं बनाई इस बाबत भी कोई

पटवारी हल्का के बयान सशपथ नहीं होने मात्र से उन्हे साक्ष्य में शुमार नहीं करना युक्तियुक्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका बेदखली दिनांक 28.02.2018 के अनुसार पूर्व में हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट के अतिक्रमण को दिनांक 28.02.2018 को अपीलान्ट की मौजूदगी में ही हटाया गया था। उक्त फर्द पर पटवारी रियाश्यामदास, भू–अभिलेख निरीक्षक व अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर है तथा उक्त फर्द पर अपीलान्ट का अगुष्ठ निशान होकर अपीलान्ट का नाम अंकित है। इस प्रकार इस फर्द से अपीलान्ट का पूर्व में भी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण होना तथा हस्तगत प्रकरण में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित है।

अपीलान्ट का पुश्तैनी कब्जा काश्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले से रहता आया हैं। अपीलान्ट बोनाफाईड काश्तकार है व भूमिहीन अनुसूचित जाति का काश्तकार होने एवं अपीलान्ट अतिक्रमण वाली भूमि को मिला कर भी 15 बीघा से कम रकबे पर काश्तकार है इसलिए राजकीय परिपत्रों के अनुसार अपीलान्ट भूमिहीन की परिभाषा में शुमार योग्य होने की स्थिति में होने से अपीलान्ट के हक में नियमन करने के निर्देश देते हुऐ रिमाण्ड करने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि जहां तक पुराने कब्जे के आधार नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जैर अपील पारित किया है, वो पूर्णतया विधि सम्मत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर